पोसेगांव
पटना
लोनाड
कोरेगांव
देवोलाली
पेठ/नेरला
दहीवड़ी
पारली

दिल्ली

मेट निकोबार द्वीप समूह

चंडीगढ़

प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवों तथा प्रोड्यूसरों की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन

4640. **श्री टी० एस० नेगी :**
श्री नवाब सिंह चौहान :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवों तथा प्रोड्यूसरों की चयन सम्बन्धी प्रक्रियाओं में क्या अन्तर है ;

(ख) वर्ष 1970 में तथा आपत स्थिति के दौरान प्रोड्यूसरों की नियुक्ति सम्बन्धी नियम क्या थे ;

(ग) क्या जनता सरकार के सत्तारूढ़ होने के पश्चात् आपात स्थिति के दौरान प्रचलित प्रोड्यूसरों की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों में कुछ परिवर्तन किए गए थे ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या आपात स्थिति के दौरान लागू उक्त चयन सम्बन्धी नियमों ने भाई-भतीजा-वाद को बढ़ावा दिया था और इसीलिए उक्त परिवर्तन आवश्यक हुए ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पद समूह 'ख' के सिविल पद हैं। भर्ती नियमों के अनुसार इसमें से 75 प्रतिशत पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और 25 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा।

आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के पद स्टाफ आर्टिस्टों के पद हैं। वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार, इन पदों को शत प्रतिशत स्टाफ आर्टिस्टों की सभी श्रेणियों में से सीमित चयन द्वारा, इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है।

(ख) 1970 के दौरान प्रोड्यूसरों के खाली स्थान सम्बन्धित कार्यक्रम की श्रेणी के उन सहायक प्रोड्यूसरों जिनकी सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कम से कम 6 वर्ष की सेवा थी, पदोन्नति द्वारा, इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गए थे, सहायक प्रोड्यूसर की श्रेणी फरवरी, 1972 में जारी किए गए युक्ति संगत आदेशों के परिणामस्वरूप प्रोड्यूसर की श्रेणी में विलय कर दिया गया था।

जुलाई, 1972 से पहले स्फाट आर्टिस्टों के कोई औपचारिक भर्ती नियम नहीं थे। जुलाई, 1972 में स्टाफ आर्टिस्टों की विभिन्न श्रेणियों के भर्ती नियमों को पहली बार अन्तिम रूप दिया गया था। तथापि, वे सांविधिक नियम नहीं थे, किन्तु वे केवल प्रशासनिक अनुदेशों के रूप में थे। इन नियमों के आधार पर, प्रोड्यूसरों के पदों को नियनानुसार भरा गया था :--

(क) 25 प्रतिशत सीमित पदोन्नति द्वारा ;

(ख) 25 प्रतिशत सीमित चयन द्वारा ; और

(ग) 50 प्रतिशत विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोड्यूसरों सहित स्टाफ आर्टिस्टों की विभिन्न श्रेणियों के भर्ती नियमों को फरवरी, 1976 में परिशोधित किया गया था। इन नियमों के अनुसार, प्रोड्यूसर के पद शत प्रतिशत निर्धारित अर्हतायें रखने वाली स्टाफ आर्टिस्टों की सभी श्रेणियों के लिए खुले सीमित चयन द्वारा, इसके न हो सकने पर खुले बाजार से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं।

(ग) निम्नलिखित परिवर्तन किए गए थे :—

(1) 500/– या उससे अधिक रुपए के शुल्कमान वाले पदों के लिए स्टाफ आर्टिस्टों के लिए चयन के लिए चयन बोर्ड में मंत्रालय के एक अधिकारी को सहयोजित करने के जो आदेश अगस्त, 1976 में जारी किए गए थे, उनको अप्रैल, 1977 में वापिस ले लिया गया था।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भर्ती निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो, अगस्त, 1977 में यह निर्णय लिया गया था कि आकाशवाणी के एक उप महानिदेशक को प्रोड्यूसर के पद के लिए किए जाने वाले प्रत्येक चयन में पर्यवेक्षक के रूप म सहयोजित किया जाना चाहिए।

(घ) आपात स्थिति के दौरान आकाशवाणी में की गई अनियमित नियुक्तियों की जांच 'दास समिति' द्वारा की गई थी और जहां आवश्यक था शोधक कार्यवाही की गई। सरकार सभी प्रकार के भाई-भतीजावाद को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। सभी भर्तियों में, बाहर के असेसरों को सहयोजित किया जाता है। भर्ती नियमों में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

Forcible Occupation of Lands, Housing etc. by the Security Forces in Mizoram

4641. DR R. ROTHUAMA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the previous Government during the past ten years of its rule had allowed the Security Forces to forcibly occupy private lands, houses, gardens, public fields, even churches in a large number of villages in Mizoram and established even till now their posts over these areas in the hearts of the villages ;

(b) if so, wheher the present Government propose to take steps to shift all these security posts outside the proper village and thereby restore those private lands, gardens etc. to the rightful owners and pay suitable compensation to them ; and

(c) if not, whether the Government propose to look into all these matters and take steps as outlined above in order to create good feelings and relationship between the civilians and the security forces ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (PROF. SHER SINGH):(a)to(c) No, Sir. The security forces in Mizoram have not forcibly and illegally occupied any private land houses, churches, gardens and public fields. The security posts are established for the sole purpose of providing protection to the local population fom hostile depredations and reprisals. In all cases where private land is occupied by the security forces, compensation for such occupation is paid to the owners through the local revenue authorities and generally no harassment is caused on that account. Since the presene of these security forces are required there for the protection of the local people, there is no proposal at present shift them from the present locations.

Appointment of a Panel to Study Conditions of Backward Classes

4642. SHRI AMAR ROY PRADHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a panel to study conditions of backward classes has been appointed ; and